प्रकरण संख्या 22/2017 रणछोड़ बनाम रामेंग

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा 5 जाब्ता मयाद के आवदेन पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2016 को लोक अदालत में अपीलान्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद एकतरफा डिक्री किया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाब लिये बिना एवं तनकियात कायम किये बिना तथा साक्ष्य लिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में उसे बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.12.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 22/2017 रणछोड़ बनाम रामेंग